तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–

श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री जे0पी0माथुर, श्री धमेन्द्र टांक एवं श्री बसन्त विजय वर्गीय, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 04–09–2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

मामले में उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष वादी फूलचंद ने नानगराम वगैरहा के विरूद्ध पेश किए गए वाद में विचारण न्यायालय ने डिक्री दिनांक 05–04–2002 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया है। उक्त वाद के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत मियाद से बाधित अपील तथा अपील के प्रस्तुतीकरण की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील में आदेश दिनांक 19–08–2003 पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं मूल अपील को मय 10,000/– रूपये की कॉस्ट अधिरोपित करते हुए अपास्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी ने पूर्व में मण्डल के समक्ष दिनांक 06–09–2003 को अपील अन्तर्गत धारा 224 पेश की गई। कालान्तर में मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ के आदेश दिनांक 24–10–2003 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि अपीलीय न्यायालय ने मामले में प्रार्थी के धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को सारहीन पाते हुए खारिज कर मूल अपील को अपास्त किया है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष नियमानुसार निगरानी ही संधारण योग्य है। तदनुसार उक्त आदेशिका के अनुसरण में प्रकरण को अपील के स्थान अधिनियम की धारा 230 के तहत निगरानी के तहत विचारण करने हेतु आज्ञा जारी की है। फलस्वरूप आलोच्य प्रकरण हमारे समक्ष वास्ते विचाराणार्थ प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष वादी फूलचंद ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 बाबत वाके स्वेज फार्म करतारपुरा तहसील जयपुर स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 25 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी नानगराम वगैरहा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय प्रकरण में तीन विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 05–04–2002 इस आशय के साथ पारित की कि खसरा संख्या 25 लगायत 27 रकबा 10 बीघा 4	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर–बराबर है एवं भूमि को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है, तहसीलदार उक्तानुसार कुरेजात प्रेषित करें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष मियाद से बाधित एक अपील मय धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के साथ पेश की। उक्त अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 19–08–2003 इस आशय के साथ पारित की कि समिति अपीलग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के हित निहित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से व्यथित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायिक कार्यवाही के दुरूपयोग का एक उदाहरण होने के कारण अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का आवेदन तथा अपील उदाहरणीय व्यय 10 हजार रूपये सहित खारिज कर निर्णित की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2003 से व्यथित प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि पर 1/2 हिस्से बाबत कब्जा प्रार्थी सहकारी समिति का चला आ रहा है तथा इस बाबत निष्पादित दस्तावेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 23–3–1988 व 02–01–1991 से पूर्ण रूप से ये तथ्य स्पष्ट हो जाते है। आगे बताया कि स्वयं नानगराम द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि मांगीलाल की मानकर मांगीलाल के कहे अनुसार प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी, इस प्रकार कब्जे के अभाव में विभाजन, घोषणा व निषेधज्ञा का वाद जो फूलचंद द्वारा दायर किया गया, वह किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं था। उनका आगे कहना है कि जो अनुबंध दिनांक 23–03–1988 व 02–01–1991 को निष्पादित किया गया था, उसके अनुसरण में अभिलेख में नानगराम का नाम अंकित हो जाने के बाद भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित होना था तथा आलोच्य वाद दायर किए जाने से पूर्व तक अभिलेख में नानगराम का नाम अंकित नहीं था, इस कारण विक्रय विलेख निष्पादित नहीं हो सका। परन्तु वादी ने मिलीभगत कर तथा तथ्यों को छिपाते हुए वाद के जरिये आज्ञा पारित करवा ली। उनका यह भी कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने अवैधानिक तरीके से सहकारी समिति का प्रशासक नियुक्त होने का बिन्दु निर्धारित करते हुए अपील को पोषणीय नहीं माना जबकि ओम शिव गृह सहकारी समिति द्वारा उक्त आलोच्य अनुबंध किया गया, इससे पूर्व तक प्रशासक नियुक्ति बाबत किसी प्रकार की सूचना समिति के अध्यक्ष को नहीं थी तथा उसके द्वारा किया गया कार्य अनुचित नहीं था। आगे बताया कि सम्पादित इकरारनामा पूर्णतया वैधानिक था। उनका यह भी तर्क है कि वादी का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था, क्योंकि विवादित रकबा पुनर्वास विभाग द्वारा की गयी नीलामी में नानगराम द्वारा क्रय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई था, इस कारण आराजी अकेले नानगराम की ही मानी जावेगी। उनका यह भी तर्क है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं कर मात्र प्राथमिक बिन्दु पर ही अत्यन्त ही अवैधानिक निर्णय से किए जाने के कारण ऐसा आदेश जरिये निगरानी अपास्त किए जाने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि प्रार्थी द्वारा विवादित रकबे पर वैध पूर्ण रूप से काबिज होकर सदस्य में भूखण्ड काटकर प्लाट आवंटित कर दिए गए तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष इस बाबत योजना नक्शे तथा सदस्यों की सूची पेश कर दी गई है तथा धारा 90–बी की कार्यवाही लम्बित है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में हस्तगत निगरानी में सारवान तथ्य उपलब्ध होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2003 व उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2002 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने कहा कि विवादित रकबे से प्रार्थी का कोई संबंध व किसी प्रकार का कब्जाकाश्त न तो वर्तमान में है तथा न ही पूर्व में था। इस कारण विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं था। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा दावे व जवाबदावे के आधार पर नियमानुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवाद्यक कायम कर प्रत्येंक विवाद्यक को उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर नियमानुसार पृथक-पृथक विरचित करते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जो कि विधि सम्मत है। ऐसे विधि सम्मत आदेश के विरूद्ध प्रार्थी को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुतीकरण की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। उनका आगे कहना है कि प्रार्थी ने विवादित रकबे का किसी प्रकार से क्रय नहीं किया है तथा न ही सहकृषक से आराजी का क्रय किया है। आगे बताया कि मांगीलाल सहकृषक का विवादित रकबे से कोई संबंध कभी भी नहीं रहा है तथा न ही कस्टोडियन विभाग से तथाकथित मांगीलाल ने भूमि नीलामी में प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार जयपुर ने भी दिनांक 08-08-1990 को मांगीलाल को भूमि सुपुर्द की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का उद्धरण कि आराजी को मांगीलाल से जरिये इकरारनामा क्रय किया गया है, यह तथ्य मनगंढत तथा बनावटी है। ऐसे फर्जी इकरारनामे से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित रकबे से प्रार्थी किस प्रकार प्रभावित है, इस बाबत न्यायालय ने समक्ष उसके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। सारांशतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री से प्रार्थी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने के कारण उसके द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील में संलग्न धारा 96 सीपीसी व मूल अपील को मय खर्चे के आक्षेपित आदेश से खारिज करने में अपीलीय न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना प्रमाणित नहीं होता है। सारांशतः मामले में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रार्थी की निगरानी को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2016 आरआरटी 304 व 723, 2016–17 आरआरटी 721, 2017 आरआरटी 883, 2011 आरआरटी 1253, 2014 आरआरटी 1474, 2002 डब्ल्यूएलसी 802, 2003 डब्ल्यूएलसी 398, 2016 आरबीजे 319 व 378 व 2013 आरआरटी 383 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है। उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2002 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 223 के तहत मियाद से बाधित अपील मय धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के संलग्नक पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–08–2003 से अपास्त किया है। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा विवादित रकबे पर प्रार्थी का हित निहित नहीं होना मानकर तथा विचारण न्यायालय न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित निर्णय से व्यथित नहीं होना अभिनिर्धारित करते हुए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 को अपास्त करते हुए मूल अपील के संबंध में 10,000/– रूपये कॉस्ट अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त किया है। सारांशतः मामले में अपीलीय न्यायालय ने अपील को गुणागुवण के बजाय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत सारहीन होना उद्धरित किया है। हमारे द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों तथा पारित किए गए निर्णयों के अवलोंकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थी सहकारी समिति की ओर से अपील प्रस्तुत किए जाने बाबत समिति का किसी प्रकार का प्रस्ताव संलग्न नहीं है। इसके साथ रेकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि उपपंजीयक सहकारी समितियां जयपुर के पत्र दिनांक 21–01–2003 के द्वारा दिनांक 26–02–1988 से प्रार्थी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही यह भी पाया जाता है कि वर्तमान में भी सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर के अनुसार प्रार्थी समिति का प्रशासक नियुक्त है। उक्त दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 02–01–1991 को विवादित रकबे का इकरारनामा निष्पादित किये जाने क्रम में प्रार्थी का समिति के अध्यक्ष का अस्तित्वहीन होना तथा उपपंजीयक सहकारी समितियां जयपुर के पत्र दिनांक 21–1–2002 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी समिति का प्रशासक नियुक्त होने के कारण प्रार्थी समिति का अध्यक्ष के माध्यम से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समक्ष आलोच्य अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं था। अतः हमारी विनम्र राय में प्रार्थी की अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं थी। रेकार्ड के अनुसार यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि प्रार्थी का विवादित रकबे में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थी किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में आहूत नहीं हो सकता है। सारांशतः यह प्रकट होता है कि प्रार्थी के द्वारा अपील के साथ संलग्नक धारा 96 सीपीसी बाबत अपील प्रस्तुततीकरण की अनुमति बाबत पेश आवेदन को खारिज करते हुए मूल अपील को मय कॉस्ट अधिरोपित करते हुए अपास्त किए जाने के निष्कर्ष से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। स्थिति यह प्रकट होती है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में अपीलीय न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण हमारे समक्ष नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने हमारे समक्ष आक्षेपित निर्णय को अन्यथा सिद्ध करने हेतु किन्हीं नवीन तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है। पाया यह जाता है कि प्रार्थी ने असंगत आधारों को निगरानी मीमो में अभिवचित कर पेश किए जाने के कारण हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थिति में हम प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करना न्यायोचित नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समझते है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टान्तों में उद्धरित तथ्यों से यह न्यायालय सहमत है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रकट होने के कारण अपास्त की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना समीचीन है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण अपास्त की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–08–2003 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों को इस निर्णय के प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4411/2003/जयपुर ओम शिव गृह निर्माण बनाम फूलचंद वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए